भी प्रयोग करने की इजाजत भारत सरकार द्वारा आपको मिल जाएगी। किसानों को सहायता पहुंचाने का एक तरीका होता है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो भी सहायता राशि अधिकतम हो सकती है, वे किसानों को मुहैय्या कराती हैं। उसके बाद वे भारत सरकार को लिखती हैं और भारत सरकार एफबीआरएफ से फिर उसको रीअंबर्स अपनी तरफ से करती हैं, एक ऐसी व्यवस्था है।जहां तक राज्यों के पास धन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि हमारी सरकार ने पहले टोटल रेवेन्यू का जो 32 परसेंट राज्यों को शेयर मिला करता था, उसको बढ़ाकर 42 परसेंट कर दिया। …(व्यवधान) पहली किश्त सारी राज्य सरकारों को रिलीज भी की जा चुकी है। …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं। …(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। …(व्यवधान) संकट की घड़ी से इस देश के किसानों को उबारने के लिए जिस भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, हमारी भारत सरकार हिंदुस्तान के किसानों के साथ पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ी है। …(व्यवधान) मैं देश के किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय रहा है। समय-समय पर हर सरकार से जो भी संभव हुआ, मदद करती रही हैं। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति सदन के सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। यह हम सबका संकल्प रहे और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उसे लेकर चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। राजनाथ जी ने सरकार की तरफ से जो जानकारी देनी थी, वह आपको दी है। मैं इस सदन की पीड़ा से अपने आपको जोड़ता हूं। हम सब, दल कोई भी हो, लेकिन देश बहुत बड़ा होता है।

<u>14.00 hrs.</u>

समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वह कौन-सी गलत रास्ते पर चल पड़े, वह कौन-सी कमियां रहीं, पहले क्या कमियां रहीं, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रहीं? यह सब का दायित्व है। हमें किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता खोजना है। मैं इस विषय में खुले मन से कहता हूं कि आपके पास जो भी सुझाव आयें, आप जरूर बताइए। हम इसके लिए कोई न कोई

रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। हम किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते हैं। हमें उनके साथ उनके दुःख में सहभागी होना है और उनके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है। आज की चर्चा से यह संकल्प उभर कर आये, सामूहिक संकल्प उभर कर आये कि हम सब मिलकर किसानों को मरने नहीं देंगे। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन से करता हूं।